न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 61 / 2016 / राजस्व वाद

उनवान

1. देवीलाल पि. नन्दाजी जाति धाकड नि.खांदलखेडी तहसील सुनेल
2. जेतराम पि. धन्नाजी जाति धाकड नि. खांदलखडी तहसील सुनेल
3. प्रहलाद पि. धन्नाजी जाति धाकड नि. खांदलखडी तहसील सुनेल
4. तुलसीराम पि. धन्नाजी जाति धाकड नि. खांदलखडी तहसील सुनेल

– वादीगण

बनाम

1. जानकीलाल पि. नारायण जाति धाकड नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादीगण – श्री हुकुमचन्द कुमावत

निर्णय दिनांक : 23/02/2021

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम खांदलखेडी तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 57 आराजी किता 24 रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा में से ख.नं. 17 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 188, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण द्वारा संतरे के पेड लगाकर करीब 10 वर्षो से तार बावण्ड्री कर रखी है। प्रतिवादी सं. 1 की आराजी ख.नं. 16 व 18 उसके शामलाती खाते की है। प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण ख.नं. 12 की दक्षिणी मेड पर रत्तीराम पि. बापूलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:02:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned by TapScanner

धाकड नि. खांदलखेडी के खते की उत्तरी मेड पर दोनो के बीच में होकर रास्ता निकाल दिया है। वादी के ख.नं. 17 के पास ही ख.नं. 18 स्थित है जो कि प्रतिवादी सं. 1 के शामलाती खाते का है परन्तु प्रतिवादी सं. 1 अपने स्वयं के खाते की आराजी में से होकर रास्ता नहीं बनाना चाहता है एवं वादीगण के ख.नं. 17 की दक्षिणी मेड से रास्ता बनाना चाह रहा है व वादीगण की तार बावण्ड्री को हटाने पर आमदा है। ख.नं. 17 की दक्षिणी मेड पर कभी प्रतिवादी सं. 1 नहीं निकला है। इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 20.06.2016 का उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं. 1 जबरन वादीगण की आराजी ख.नं. 17 की दक्षिणी मेड पर रास्ता कायम करने के लिये थाना सुनेल में झूंठी रिपोर्ट कर तार बावण्ड्री हटाने हेतु पुलिस से दबाव बनवाया। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी सं. 1 ग्राम खांदलखेडी की आराजी ख.नं. 17 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा की दक्षिणी मेड पर स्थित तार बावण्ड्री व खम्बो को नहीं हटावे व नया रास्ता कायम नहीं करें। वाद पत्र के साथ ग्राम खांदलखेडी की जमाबंदी खाता सं. 57 , 188 , 186 की नकल एवं नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री हुकुमचन्द कुमावत ने वकालातनामा प्रस्तुत किया परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वाद पत्र, जवाब दावा एवं राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं अभिभाषकगण द्वारा की बहस पर गौर किया गया।

आदेश

प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम खांदलखेडी तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 17 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादीगण के खाते एवं कब्जा काश्त की है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 अपनी स्वयं के शामलाती खाते की आराजी ख.नं. 18 में से होकर अपने ख.नं. 16 में आ जा सकता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 ग्राम खांदलखेडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:02:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला ... (राज०)

Scanned by TapScanner

की आराजी ख.नं. 17 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा में कोई हस्तक्षेप नहीं करे एवं ख.नं. 17 की दक्षिणी मेड पर स्थित तार बावण्ड्री व खम्बो को नहीं हटावे तथा नया रास्ता कायम नहीं करें।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

COURT 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:02:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 61/2016 /राजस्व वाद

उनवान

1. देवीलाल पि. नन्दाजी जाति धाकड नि.खांदलखेडी तहसील सुनेल
2. जेतराम पि. धन्नाजी जाति धाकड नि. खांदलखडी तहसील सुनेल
3. प्रहलाद पि. धन्नाजी जाति धाकड नि. खांदलखडी तहसील सुनेल
4. तुलसीराम पि. धन्नाजी जाति धाकड नि. खांदलखडी तहसील सुनेल

– वादीगण

बनाम

1. जानकीलाल पि. नारायण जाति धाकड नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादीगण – श्री हुकुमचन्द कुमावत

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुदृदई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम खांदलखेडी तहसील सुनेल की आराजी ख. नं. 17 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादीगण के खाते एवं कब्जा काश्त की है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 अपनी स्वयं के शामलाती खाते की आराजी ख.नं. 18 में से होकर अपने ख.नं. 16 में आ जा सकता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 ग्राम खांदलखेडी की आराजी ख.नं. 17 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा में कोई हस्तक्षेप नहीं करे एवं ख.नं. 17 की दक्षिणी मेड पर स्थित तार बावण्ड्री व खम्बो को नहीं हटावे तथा नया रास्ता कायम नहीं करें।

COURT 20

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:02:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned by TapScanner

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/02/2021 को जारी की गई।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:02:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner